रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 1970/श्रावण 12, 1892

No. 142] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 1970/SRAVANA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1970

G.S.R. 1123.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299, of the Constitution, the President is pleased to make the following rule, namely:—

All documents necessary to be executed in connection with the implementation of the Loan Agreement dated 20th July, 1970, with the Export-Import Bank of Japan and sixteen other participating banks in Japan on the extension of "Yen Credit (VOH Project Aid)" amounting to Two Billion Five Hundred Twenty Million Yen, shall be executed and authenticated on behalf of the President by any of the Officers specified below:—

Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary or Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs:

Controller of Aid Accounts, Senior Accounts Officer or Accounts Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs;

Ambassador of India in Japan, Charge d' Affaires of India in Japan, Counsellor, First Secretary or Second Secretary in the Embassy of India in Japan.

Dated at New Delhi, this 28th day of July, 1970.

[No. F. 5(29)-AEI/70.]

By order and in the name of the President

Y. T. SHAH, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1970

जो० एस० आर० 1123.—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने कृपापूर्वक निम्न-लिखित नियम बनाया है, अर्थात् :—

दो अरब बावन करोड़ येन की रकम का "येन ऋण (वी० ओ० एच० प्रायोजना सहायता)" दिये जाने के विषय में जापान के आयात-निर्यात बैंक और जापान के, भाग लेने वाले अन्य सोलह बैंकों के साथ 20 जुलाई, 1970 को हुए ऋण करार को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में जिन दस्ता-वेजों का निष्पादन आवश्यक होगा, राष्ट्रपति की ओर से उनका निष्पादन तथा अभिप्रमाणन, नीचे उल्लिखित पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी कर सकेगा :—

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अर्थ विभाग के सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप-सचिव अथवा अनु-सचिव ।

वित्त मंत्रालय, अर्थ विभाग के सहायता लेखा नियंत्रक, वरिष्ठ लेखा-अधिकारी अथवा लेखा-अधिकारी, जापान-स्थित भारतीय राजदूत, जापान-स्थित भारतीय कार्यदूत, जापान-स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव अथवा द्वितीय सचिव ।

दिनांक नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1970 ।

[संख्या एफ० 5(29)—ए०ई०I/70.]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

वाई० टी० शाह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970